

—:— छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —:—

प्रधान-कार्यालय, 22, आनंद नगर, रायपुर

क्रमांक/छगवेका/स्था०/2010-11/ 837
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक :- 15/7/16

छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की संचालक मण्डल की 21वीं बैठक दिनांक 06.07.10 को प्रस्ताव एवं ठहराव क्र०-21.17 द्वारा दी गई स्वीकृति के परिपालन में निम्नलिखित अधिकारी एवं स्टाफ को मोबाइल रिचार्ज व्यय प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति निम्नांकित सीमा तक दी जाती है :-

क्र०	शाखा के नाम	राशि रु. (प्रतिमाह)
01	प्रथम श्रेणी अधिकारी सचिव एवं महाप्रबंधक, प्रबंधक(कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/ तकनीकी) कार्यपालन यंत्री	1000.00
02	द्वितीय श्रेणी अधिकारी क्षेत्रीय प्रबंधक, उप-प्रबंधक, सहायक अभियंता, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक	750.00
03	तृतीय श्रेणी जिला शाखा प्रबंधक/उप-अभियंता, सहायक प्रबंधक(लेखा), मुख्यालय एवं इसके अलावा 5000 मेंटन क्षमता से अधिक गोदाम-शाखा प्रबंधकों	500.00
04	निज सहायक, अध्यक्ष महोदय/प्रबंध संचालक	300.00
05	अन्य शाखा प्रबंधक (समस्त) -	300.00
06	शाखा कार्यालय में कार्यरत स्टाफ, जिनमें चौकीदार भी शामिल है, जिन्हें अधीनस्थ दूरस्थ गोदाम में ड्यूटी लगाया गया है। शाखा की कार्य आवश्यकतानुसार मोबाइल व्यय की वास्तविक व्यय अथवा राशि रु. 100.00 जो कम हो, शाखा प्रबंधक स्वीकृत कर भुगतान के लिए अधिकृत रहेंगे।	100.00

- 02/ जो अधिकारी प्रभारी के रूप में एक से अधिक पदों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक ही पद पर मोबाइल व्यय दिया जावेगा।
- 03/ शाखा स्तरों पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति इम्प्रेस्ट लेखा से लिए जा सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जिवेन कुमार)
प्रबंध संचालक